रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 319] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 28, 1975/अग्रहायण 7, 1897

No. 319] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 28, 1975/AGRAHAYANA 7, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(Department of Agriculture)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November 1975

G.S.R. 566(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to section 16 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby directs that the functions of the Central Insecticides Laboratory shall, to the extent specified in column (2), be carried out at the institutions specified in the corresponding entries in column (1) of the Table below.

TABLE

Name of the Institution	Functions
(1)	(2)
1. Central Plant Protection Training Institute (Chemical Laboratory), Rajendra Nagar, Hyderabad.	General Analysis and Residue Analysis.
2. Plant Quarantine and Fumigation Station (Chemical Laboratory) Sewree, Bombay.	General Analysis.
3. Food Laboratory, Department of Food, Krishi Bhavan, New Delhi.	General Analysis and Residue Analysis.

(1)	(2)
4. National Institute of Communicable Diseases (Directorate General of Health Services), Alipur Road, Delhi.	General Analysis and Residue Analysis.
5. Central Food Laboratory (Directorate General of Health Services), Calcutta.	Residue Analysis.

[No. 19-17/73-PPS]

PRAKASH NARAIN, Adviser.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 1975

सा०का० नि० 566 (अ).—केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 16 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देती है कि केन्द्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला के कृत्य, स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट विस्तार तक नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में तत्संबंधी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट संस्थाओं में किए जाएंगे ।

सारणी

संस्था का नाम	कृत्य
(1)	(2)
1. केन्द्रीय पीड़ा संरक्षण, प्रशिक्षण संस्थान (रसायन प्रयोगशाला), राजेन्द्रनगर, हैदराबाद ।	सामान्य विश्लेषण और अवशिष्ट विश्लेषण ।
2. पीधा कस्तीन और धूमन स्टेशन (रसायन प्रयोगशाला), सेवरी, मुम्बई ।	सामान्य विश्लेषण ।
3. खाद्य प्रयोगशाला, खाद्य विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली ।	सामान्य विश्लेषण और अवशिष्ट विश्लेषण
4. राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान (महानिदेशालय स्वास्थ्य सेवा) अलीपुर रोड, दिल्ली ।	सामान्य विश्लेषण और अवशिष्ट विश्लेषण
5. केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला (महानिदेशालय स्वास्थ्य सेवा), कलकत्ता ।	अवशिष्ट विश्लेषण ।

[सं० 19-17/73-पी० पी० एस०]

प्रकाश नारायण, सलाहकार ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975